राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–6)

एफ 10(3)ग्रावि / ग्रुप–6 / 2015 | 13245-345 जयपुर दिनांक : 05 NOV 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिये गठित राज्य स्तरीय एम्पावर्ड समिति (SLEC) की द्वितीय बैठक दिनांक 01.11.2019 को प्रातः 11.30 बजे कान्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय में आयोजित की गयी बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त उपस्थित प्रतिभागीगणों के स्वागत उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डावार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ कर निम्नांकित निर्णय किये गये :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए समिति की प्रथम बैठक दिनांक 16.02.2015 की बैठक अनुपालना रिपोर्ट के संबंध में अवगत कराया गया।
2. योजना अवधि (2014–19) के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण की प्रगति की समीक्षा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा तीनों चरणों में बड़ी संख्या में प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों की स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त लाईन विभागों को निर्देशित किया गया कि प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण किया जावे एवं अप्रारम्भ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ किया जावे। प्रथम एवं द्वितीय चरण के अप्रारंभ कार्यों में से क्रियान्वित नहीं हो सकने वाले कार्यों को चिन्हित कर तत्काल निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
3. विभागवार लम्बित कार्यों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभागों को उनसे सम्बन्धित लम्बित कार्यों की चरणवार, जिलेवार एवं ग्राम पंचायतवार सूचियां उपलब्ध करवायी जावें। सम्बन्धित विभाग लम्बित कार्यों की समीक्षा कर कार्यों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। योजना से सम्बन्धित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हेतु सभी लाईन विभाग राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें।
4. योजना की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक नियमित रूप से (त्रैमासिक) आयोजित की जावे। इसी प्रकार सभी जिला कलक्टर्स प्रतिमाह माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में लाईन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों एवं चयनित ग्राम पंचायत के सरपंचगणों के साथ योजना की समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे।
5. योजना के चतुर्थ चरण (2019–20) में माननीय सांसदों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों से समिति को अवगत कराया गया। अभी तक 9 लोकसभा सदस्यों एवं 3 राज्यसभा सदस्यों द्वारा कुल 12 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर्स द्वारा शेष माननीय सांसदगणों से आदर्श ग्राम पंचायतों के शीघ्र चयन हेतु व्यक्तिशः सम्पर्क कर निवेदन किया जावे।
6. चयनित ग्राम पंचायतों के बेस लाईन सर्वे के आधार पर सभी लाईन विभागों एवं आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए व्यावहारिक ग्राम विकास योजना (VDP) तैयार की जावे। ग्राम विकास योजना (VDP) में गतिविधियों के चयन में उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखा जावे।

7. योजनान्तर्गत उदाहरण स्वरूप प्रथम चरण में जिला जयपुर के चयनित आदर्श ग्राम पंचायत धानक्या की ग्राम विकास योजना (VDP) में सम्मिलित 28 कार्यों पर चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में हुये कार्यों एवं प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।
8. अध्यक्ष महोदय द्वारा आगामी चरणों मे चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास योजना (VDP) निर्माण एवं कार्यों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभागवार निम्नांकित गतिविधियों को आवश्यक रूप से सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किये गयेः–

i. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग–
   a. चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण।
   b. विद्यालयों की चारदीवारी, खेल मैदान, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं।
   c. ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन एवं सामुदायिक शौचालय।
   d. स्वयं सहायता समूहों के माध्यन से स्व–रोजगार।
   e. आन्तरिक सड़क मय नाली।
   f. स्ट्रीट लाईट्स।

ii. महिला एवं बाल विकास विभाग–
   a. राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय सुविधा।

iii. ऊर्जा विभाग–
   a. घरेलू विद्युत कनेक्शन।
   b. कृषि विद्युत कनेक्शन।
   c. राजकीय भवनों पर सोलर प्लांट्स।

iv. कृषि विभाग–
   a. विभाग की योजनाओं में वार्षिक लक्ष्यों एवं संसाधनों के अनुसार गतिविधियों का चयन।

v. सार्वजनिक निर्माण विभाग–
   a. विकास पथों का निर्माण।

vi. शिक्षा विभाग–
   a. विद्यालयों में शौचालय सुविधा।
   b. आवश्यक कक्षा–कक्ष।
   c. कम्प्यूटर लैब स्थापना।

vii. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू–जल विभाग–
   a. शुद्ध पेयजल उपलब्धता हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग